डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-326 New Delhi: 12.09.2018

Shri Raj Kumar
846, Balaji Nagar, Amar Maya
Opposite Shiv Vatika, Chandpur Road
Bulandshar-203001
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: RTI Application dated 12.08.18.

Further to this office letter of even number dated 04.09.18 the additional reply received from the concerned office is sent herewith.

DA: 08 sheets

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

6/2

ांकः एमटीसी / ईएन / आर0टी0आई0 / भाग–3 दिनांकः 21.08.2018

डिप्टी जी0एम0 / एडमीन (पी0आई0ओ0)
कॉरपोरेट ऑफिस डीएफसीसीआईएल
प्रगति मैदान नई दिल्ली।

विषयः ग्राम वैर बादशाहपुर में गाटा नं0 1204 की प्रति वर्ग मीटर की दर के सम्बंध में।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक 2018 / एच0क्यू0 / एडमिन / आर0टी0आई–326 दिनांकः10.08.2018

मांगी गई जानकारी के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि ग्राम वैर बादशाहपुर तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर के गाटा सं0 1204 घोषित अभिनिर्णय दिनांक 04.08.2011 के अनुसार दर रू 316.21 प्रति वर्ग मीटर है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

उप.परियोजना प्रबंधक (विद्युत) /
उप. जनसूचना अधिकारी
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
मेरठ।

अभिनिर्णय आदेश

1. वाद सं0	15/2009
2. ग्राम	बैरवादशाहपुर
3. तहसील	सिकन्द्राबाद
4. जिला	बुलन्द शहर
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल प्रकाशित क्षे0 12.5209 हे0 सरकारी भूमि 2.9961 हे0 संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार कम किया गया रकबा 0.3296 हे0 निजी भूमि जिसका प्रतिकर निर्धारित किया जा रहा है 9.1952 हे0 अन्तर जिसका प्रतिकर निर्धारित नही किया जा रहा है 3.3257 हे0
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन	विशेष रेल परियोजना इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध ओर प्रचालन के लिए स्थाई निर्माण हेतु
7. अध्याप्ति निकाय का नाम	रेल मंत्रालय, भारत सरकार (डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, 5वाँ तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110001)
8. क्या जमींदारी विनाश का क्षेत्र है	हाँ
9. रेल संशोधित अधिनियम 2008 की धारा-20(ए) की अधिसूचना का विवरण	अधिसूचना संख्या-का.आ.2235 (अ) दिनांक 02.09.2009 जो भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 खण्ड-3, उपखण्ड द्वितीय दिनांक- 03.09.2009 को प्रकाशित हुई
10. धारा-20ए की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्थानीय प्रकाशन का विवरण	1.हिन्दुस्तान, समाचार पत्र दिनांक- 27.09.2009 2. अमर उजाला, समाचार पत्र दिनांक- 27.09.2009
11. रेल संशोधित अधिनियम 2008 की धारा-20(ई) की अधिसूचना का विवरण	अधिसूचना संख्या-का.आ.1930 (अ) दिनांक 07.08.2010 जो भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 खण्ड-3, उपखण्ड द्वितीय दिनांक- 07.08.2010 को प्रकाशित हुई
12. धारा-20 ई के अन्तर्गत स्थानीय प्रकाशन का विवरण	1. अमर उजाला, नई दिल्ली,समाचार पत्र दिनांक-10.09. 2010. 2. दैनिक जागरण, मेरठ, समाचार पत्र दिनांक-10.09. 2010
14. अभिनिर्णय की तिथि	

10

Scanned by CamScanner

सूचनार्थ दो दैनिक समाचारपत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान में दिनांक 27.09.2009 को प्रकाशित कर समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से 30 दिन के अन्दर आपत्ति आमंत्रित की गई। इस क्रम में ग्राम- बैरवादशाहपुर , तह0- सिकन्द्राबाद जिला- बुलन्द शहर नियत अवधि में कुल 04 आपत्तियाँ प्रप्त हुई, जिनका निम्नानुसार व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देते हुए निस्तारण कर दिया गया।

आपत्ति संख्या 01

श्री दिनेश अग्रवाल, अग्रवाल ईंट उद्योग, बैरवादशाहपुर, निवासी ककोड़ जिला बुलन्दशहर। आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 09.10.2009 में अपने गाटा संख्या 705 रकबा 1.254 है0 स्थित ग्राम बैरवादशाहपुर को वाणिज्यक प्रयोग में बताते हुए इस पर भट्टा सुचारू रूप से चलना बताया गया है। इस लिए अर्जन से मुक्त करने की मांग की गयी है। ऐसा सम्भव न होने की दशा में रू0 10000.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिकर व रिहेवलीटेशन क्लेम के रूप में 6 प्रतिशत आवासीय प्लॉट भी दिये जाने की मांग की है।

निस्तारण-

आपत्तिकर्ता की भूमि भारत सरकार द्वारा भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की जा रही है। रेल मार्ग निर्माण सार्वजनिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए प्रश्नगत भूमि का अर्जन अपरिहार्य है। अतः प्रश्नगत भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नही है। आपत्तिकर्ता की भूमि व परिसम्पत्तियों का नियमानुसार उचित प्रतिकर दिया जायेगा।

आपत्ति संख्या 02

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र हरप्रसाद, निवासी ग्राम बैरवादशाहपुर परगना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।

विवरण-

आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 21.10.2009 में अपने गाटा संख्या 684 रकबा 0.4040 है0 स्थित ग्राम बैरवादशाहपुर को आवादी व हाईवे के नजदीक होने के कारण अर्जन से मुक्त किये जाने की मांग की गयी है। ऐसा न होने की दषा में रू0 20 लाख प्रति कच्चा बीघा की दर से प्रतिकर चाहा गया है।

निस्तारण-

आपत्तिकर्ता की भूमि भारत सरकार द्वारा भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की जा रही है। रेल मार्ग निर्माण सार्वजनिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए प्रश्नगत भूमि का अर्जन अपरिहार्य है। अतः प्रश्नगत भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नही है। आपत्तिकर्ता की भूमि का नियमानुसार उचित प्रतिकर दिया जायेगा।

आपत्ति संख्या-03

श्री पूरन सिंह पुत्र हरदयाल, निवासी ग्राम बैरवादशाहपुर परगना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।

विवरण-

आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 21.10.2009 में अपने गाटा संख्या 686 रकबा 0.4588 है0 स्थित ग्राम बैरवादशाहपुर को आबादी से मिला हुआ तथा उस पर ट्यूबवैल बताते हुए प्रश्नगत खसरा नं0 में अपने पिता की समाधि बतायी गयी है। इस कारण से अर्जन से मुक्त कराना चाहता है। ऐसा न होने की दशा में रू0 20 लाख प्रति पक्का बीघा की दर से प्रतिकर की मांग की गयी है।

Scanned by CamScanner

निस्तारण— आपत्तिकर्ता की भूमि भारत सरकार द्वारा भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की जा रही है। रेल मार्ग निर्माण सार्वजनिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए प्रश्नगत भूमि का अर्जन अपरिहार्य है। अतः प्रश्नगत भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नही है। जहां तक आपत्तिकर्ता की भूमि पर उसके पिता की समाधि होने का प्रश्न है, अर्जन निकाय इस बिन्दु पर विचार करें। आपत्तिकर्ता की भूमि व परिसम्पत्तियों का नियमानुसार उचित प्रतिकर दिया जायेगा।

आपत्ति संख्या—04 श्री महेन्द्र सिंह, शेर सिंह पुत्रगण छत्तर सिंह व भिक्कन सिंह, वने सिंह पुत्रगण रंजीत सिंह व रोहित सिंह पुत्र मेघराज, श्रीमती ऊषा पत्नी मेघराज सिंह, श्रीमती शान्ति देवी पत्नी छत्तर सिंह, निवासी ग्राम बैरबादशाहपुर परगना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।

विवरण— आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 05.10.2009 में अपने गाटा संख्या 1355 रकबा 1.4300 है0 स्थित ग्राम बैरबादशाहपुर को अर्जित होने की दशा में परिवार के समक्ष जीवनयापन का संकट उत्पन्न होना वताते हुए अर्जित न करने की मांग की गयी है। अर्जन की स्थिति में रू0 6–7 हजार प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिकर की मांग की गयी है।

निस्तारण— आपत्तिकर्ताओं की भूमि भारत सरकार द्वारा भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की जा रही है। रेल मार्ग निर्माण सार्वजनिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए प्रश्नगत भूमि का अर्जन अपरिहार्य है। अतः प्रश्नगत भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नही है। आपत्तिकर्ताओं की भूमि का नियमानुसार उचित प्रतिकर दिया जायेगा।

<u>कालबाधित प्राप्त आपत्ति</u>

आपत्ति संख्या—01 श्रीमती राजवती देवी पत्नी फकीर चन्द, निवासी बैरबादशाहपुर परगना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।

विवरण— श्रीमती राजवती देवी पत्नी फकीर चन्द, निवासी बैरबादशाहपुर परगना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 06.03.2010 में इंगित किया है कि खतौनी खाता संख्या 170 के गाटा संख्या 1305 रकबई 0.0680 स्थित ग्राम बैरबादशाहपुर में संक्रमणीय भूमिधर कास्तकार श्री कंछी पुत्र सुक्खन थे जिन्होने बैनामा दिनांक 22.09.2009 के द्वारा उक्त भूमि आपत्तिकर्ता को विक्रय कर दी है। जिसका नामान्तरण आपत्तिकर्ता के पक्ष में हो चुका है, इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बर में से अर्जित भूमि का मुआवजा उसको दिलवाया जायें।

निस्तारण— आपत्तिकर्ता की आपत्ति के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि अर्जित भूमि का प्रतिकर राजस्व-अभिलेखों के अनुसार दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

तदोपरान्त भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा– 20 ई के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कराने हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तथा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट केन्द्र सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित/प्रस्तुत की गई। केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्र सं0 1930 (अ) दिनांक 07.08.2010 को ग्राम–वैरवादशाहपुर में कुल 12.5209 हे0 भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई। उपर्युक्त अधिसूचना का प्रकाशन धारा 20च (4) भारतीय रेल अधिनियम 1989 का संशोधन 2008 के प्राविधानानुसार दो दैनिक समाचारपत्रों अमर उजाला व दैनिक जागरण में दिनांक 10.09.2010 को कराया गया और हितबद्ध व्यक्तियों से दावे आमंत्रित किए गए, नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

भारतीय रेल (संशोधन) अध्यादेश 2008 की धारा 20–ई के अन्तर्गत प्रकाशित केन्द्र सरकार की अधिसूचना संख्या– का. आ. 1930 (अ) दिनांक 07.08.2010 को ग्राम–वैरवादशाहपुर, तह0–सिकन्दराबाद, जिला– बुलन्द शहर के, निजी गाटा सं0– 1443 रकबा 0.1864, 1442 रकबा 0.0960, 1441 रकबा 0.0596, 1432 रकबा 0.0704, 1431 रकबा 0.1352, 1430 रकबा 0.1272, 1429 रकबा 0.1032, 1424 रकबा 0.1296, 1426 रकबा 0.2604, 1422 रकबा 0.0160, 1421 रकबा 0.0792, 1427 रकबा 0.2376, 1419 रकबा 0.4264, 1309 रकबा 0.0048, 1306 रकबा 0.0080, 1305 रकबा 0.0680, 1304 रकबा 0.0160, 1303 रकबा 0.2064, 1299 रकबा 0.1248, 1298 रकबा 0.1472, 1297 रकबा 0.1080, 1294 रकबा 0.0280,. 1374 रकबा 0.0280, 1373 रकबा 0.0960, 1372 रकबा 0.0400, 1371 रकबा 0.1872, 1370 रकबा 0.1344, 1355 रकबा 1.4300, 1359 रकबा 0.0008, 1360 रकबा 0.1728, 1336 रकबा 0.0440,1337 रकबा 0.0420, 1325 रकबा 0.6244, 1348/2010 रकबा 0.1008, 1348 रकबा 0.0216, 1350 रकबा 0.1280, 1347 रकबा 0.1840, 1344 रकबा 0.2588, 1342 रकबा 0.0448, 1339 रकबा 0.2132, 1211 रकबा 0.0896, 1213 रकबा 0.0320, 1214 रकबा 0.0012, 1215 रकबा 0.0630, 1217 रकबा 0.0848, 1200 रकबा 0.0230, 1203 रकबा 0.2040, 1204 रकबा 0.0008, 782 रकबा 0.0700, 787 रकबा 0.1000, 691 रकबा 0.7136, 692 रकबा 0.3538, 686 रकबा 0.4588, 673 रकबा 0.3056,. 685 रकबा 0.2166, 684 रकबा 0.4040, तथा सरकारी गाटा सं0 1444 रकबा 0.0096 1428 रकबा 0.2320, 1434 रकबा 0.0096, 1420 रकबा 0.0248, 1417 रकबा 0.0048, 1310 रकबा 0.3080,1416 रकबा 0.0048, 1296 रकबा 0.0080, 1376 रकबा 0.0120, 1375 रकबा 0.0240, 1358 रकबा 0.0336, 1354 रकबा 0.0112, 1353 रकबा 0.0224, 1338 रकबा 0.0560, 1343 रकबा 0.0090, 1341 रकबा 0.0130, 1340 रकबा 0.0272, 1219 रकबा 0.02910, 1216 रकबा 0.0080, 1209 रकबा 0.0070, 1199 रकबा 0.0648,1201 रकबा 0.1176, 1202, रकबा 0.0360, 1148 रकबा 0.2304, 784 रकबा 0.2948, 783 रकबा 0.0594, 781 रकबा 0.0148, 705 रकबा 0.2010, 700 रकबा 0.0250, 702 रकबा 0.0630, 701 रकबा 0.0210, 697 रकबा 0.0880, 698 रकबा 0.0015 699 रकबा 0.0700, 704 रकबा 0.3260, 703 रकबा 0.0010, 687 रकबा 0.0240, 675 रकबा 0.0216, 674 रकबा 0.2250, 781 रकबा 0.0148 कुल प्रकाशित रकबा 12.5209 में से राजस्व विभाग व डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर, के अधिकारियों के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार गाटा सं0 सरकारी गाटा सं0 1444 रकबा 0.0096 1428 रकबा 0.2320, 1434 रकबा 0.0096, 1420 रकबा 0.0248, 1417 रकबा 0.0048, 1310 रकबा 0.3080,1416 रकबा 0.0048, 1296 रकबा 0.0080, 1376 रकबा 0.0120, 1375 रकबा 0.0240, 1358 रकबा 0.0336, 1354 रकबा 0.0112, 1353 रकबा 0.0224, 1338 रकबा 0.0560, 1343 रकबा 0.0090, 1341 रकबा 0.0130, 1340 रकबा 0.0272, 1219 रकबा 0.02910, 1216 रकबा 0.0080, 1209 रकबा 0.0070, 1199 रकबा 0.0648,1201 रकबा 0.1176, 1202, रकबा 0.0360, 1148 रकबा 0.2304, 784 रकबा 0.2948, 783 रकबा 0.0594,705 रकबा 0.2010, 700 रकबा 0.0250, 702 रकबा 0.0630, 701 रकबा 0.0210, 697 रकबा 0.0880, 698 रकबा 0.0015 699 रकबा 0.0700, 704 रकबा 0.3260, 703 रकबा 0.0010, 687 रकबा 0.0240, 675 रकबा 0.0216, 674 रकबा 0.2250 एवं राजस्व विभाग व डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर, के अधिकारियों के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार निजी गाटा सं0 1372 रकबा 0.0400 हे0 में से 0.0260 हे0रकबा,691 रकबा 0.7136 हे0 में से 0.3980 हे0 रकबा, कम किया गया है, इस प्रकार कुल अधिसूचित एवं प्रकाशित रकबा 12.5209 हे0 में से कुल 3.3257 हे0 रकबा कम करने के उपरान्त कृषि भूमि की कुल 9.1952 हे0 अथवा 91952 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के अधिग्रहण प्रक्रिया के

Scanned by CamScanner

ग्राम में सुसंगत प्राविधानों के तहत प्रतिकर के निर्धारण हेतु अभिनिर्णय घोषित करने का औचित्य उत्पन्न हुआ।

उपरोक्त वर्णित सरकारी गाटों का अवश्यकतानुसार पुनर्ग्रहण (रिजम्पशन) का प्रस्ताव अर्जन निकाय के द्वारा पृथक से सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रतिकर निर्धारण हेतु भारतीय रेल अधिनियम 2008 की धारा 20छ(1) (i) (ii) में कृषि व आवासीय भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण और अवधारण करने के मापदंड की व्यवस्था प्रदान की गई है जिसके अनुसार–

(i) उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, विक्रय विलेखों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट निम्नतम भूमि मूल्य, यदि कोई हो या।

(ii) उस ग्राम में या आसपास, जहां उच्चतर कीमत संदत्त की गई है, स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए, पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों के 50 प्रतिशत से अन्यून से अभिनिश्चत, विक्रय कीमत का औसत। इनमें से जो अधिक हो को कृषि भूमि/आवासीय भूमि का बाजारु मूल्य निर्धारित किया जयेगा।

तदानुसार धारा– 20ए की अधिसूचना दिनांक 02.09.2009 से तीन वर्ष पूर्व प्रश्नगत ग्राम–वैरबादशाहपुर में निष्पादित हुए विक्रय पत्रों का संकलन सबरजिस्ट्रार, तह0 सिकन्द्राबाद , जिला बुलन्द शहर के कार्यालय से कराया गया। इस अवधि में कृषि योग्य भूमि के 77 विक्रय पत्र निष्पादित हुए पाये गये जो परिशिष्ट–2 पर अंकित हैं। पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों के अधिनियम के प्राविधानानुसार 50 प्रतिशत से अन्यून से अभिनिश्चत, विक्रय कीमत का कृषि योग्य भूमि का मूल्य 24,31,057/–रू0 प्रति हेक्टेयर होता है।

ग्राम वैरबादशाहपुर , तह0 सिकन्द्राबाद , जिला– बुलन्दशहर में धारा 20 ए के प्रकाशन दिनांक 02.09.2009 के समय प्रचलित विक्रय विलेखों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट निम्नतम भूमि मूल्य की निर्धारित उ0 प्र0 स्टाम्प ड्यूटी दर, धारा 20 ए के प्रकाशन के तत्कालीन सर्किल रेट / मूल्यांकन सूची (प्रभावी दिनांक 10.07.2009) का अवलोकन किया गया। जिसकी आवासीय दरें सडक पर रू0 2000/–प्रति वर्ग मीटर एवं सडक से दूर रू0 1600/– प्रति वर्ग मीटर तथा कृषि भूमि की न्यूनतम दरें सडक से दूर रू0 800000/–प्रति 0.253 हे0(रू0 3162055/–प्रति हे0),राष्ट्रीय मार्ग पर रू0 1500000/– प्रति 0.253 हे0(रू0 5928854/–प्रति हे0),राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग/अति0जिला मार्ग,अन्य जिला मार्ग रू0 1300000/– प्रति 0.253 हे0 (रू0 5138340/–प्रति हे0) एवं लिंक मार्ग पर रू0 1100000/– प्रति 0.253हे0(रू0 4347826/–प्रति हे0) निर्धारित है। अर्जन निकाय संयुक्त सर्वेक्षण के क्रम में अधिग्रहीत भूमि का अवलोकन किया गया उपर्युक्त स्टाम्प सूची में ग्राम वैरबादशाहपुर में गाटा सं0 1204 रकबा 0.0008 हे0,गाटा सं0 782 रकबा 0.0700 हे0, गाटा सं0 787 रकबा 0.1000 हे0 कुल रकबा 0.1708 हे0 अर्जित की जाने वाली भूमि मुख्यमार्ग के समीप है, जिसका रू0 51,38,340/–एवं शेष भूमि 9.0244 सडक से दूर है जिसका रू0 31,62,055/– प्रति हेक्टेयर की दर निर्धारित की जाती है जो अनुसूची–2 के विक्रय–पत्रों में से अधिक दर वाले विक्रय–पत्रों की औसत दर से अधिक है।

मुख्य मार्ग के समीप एवं सडक से दूर,दोनों प्रकार की कृषि भूमि के लिए विक्रय हेतु निर्धारित स्टाम्प दरों पर विचार करने से यह स्पष्ट है की ग्राम वैर बादशाहपुर मे पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों के 50 प्रतिशत से अन्यून से अभिनिश्चत दर, स्टाम्प दरों से कम है, अतः ग्राम– वैरबादशाहपुर में अर्जित की जा रही कृषि भूमि मुख्यमार्ग के समीप का प्रतिकर निर्धारण रू0 51,38,340/– प्रति हे0 एवं सडक से दूर स्थित भूमि की प्रतिकर निर्धारण रू0 31,62,055/– प्रति हेक्टेयर की दर केवल कृषि भूमि के लिए प्रतिकर निर्धारित किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

जिसके अनुसार भूमि का प्रतिकर का विवरण निम्न प्रकार है।

अर्जित रकबा (हे0)	दर प्रति हेक्टेयर	भूमि का प्रतिकर	60 प्रतिशत सोलेसियम धारा–20ङ (9) के अनुसार	वृक्षों की मूल्यांकन राशि	परिसम्पत्तियों की मूल्यांकन राशि	योग रू0
0.1708	51,38,340	8,77,628.00	....	....	....	....
9.0244	31,62,055	2,85,35,649.00	....	....	....	....
कुल योग 9.1952	....	रू0 2,94,13,277.00	रू0 1,76,47,966.00	....	....	रू0 4,70,61,243.00

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन सम्बन्धित विभागों से अभी तक प्राप्त नही हो सका है जिसके कारण अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का प्रतिकर निर्धारित नही किया जा रहा है। इनका प्रतिकर मूल्यांकन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित किया जायेगा।

इस प्रकार उपरोक्त अर्जित की जा रही 9.1952 हे0 भूमि का प्रतिकर मय सोलेशियम के अन्तर्गत देय धनराशि कुल रू0 **4,70,61,243.00** प्रभावित कृषकों को देय होगा, तथा अर्जित की जा रही भूमि के भू राजस्व का 30 गुना पूंजीकृत मूल्य रू0 11,717 तथा 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि रू0 47,06,124.00 राज्य सरकार को देय होगी।

अतः तदानुसार अभिनिर्णय घोषित किया जाता है।

6.1.8

(दिग्विजय सिंह)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
/सक्षम प्राधिकारी

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बुलन्दशहर

15. अभिनिर्णय की धनराशि	1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि सडक के समीप अर्जित रकवा 0.1708 हे0 दर प्रति हे0 रू0 51,38,340	रू0 8,77,628.00
	2	भूमि के प्रतिकर की धनराशि सडक से दूर अर्जित रकवा 9.0244 हे0 दर प्रति हे0 रू0 31,62,055	रू0 2,85,35,649.00
	3	कुल भूमि 9.1952 के प्रतिकर की धनराशि	रू0 2,94,13,277.00
	4	भूमि के प्रतिकर धनराशि पर 60 प्रतिशत सोलेशियम	रू0 1,76,47,966.00
	5	भूमि की कुल प्रतिकर धनराशि 60 प्रतिशत सोलेशियम सहित	रू0 4,70,61,243.00
	6	वृक्षों के प्रतिकर की धनराशि	....
	7	परिसम्पत्तियों के प्रतिकर की धनराशि	....
	8	10 प्रतिशत भू अर्जन व्यय की धनराशि	रू0 47,06,124.00
	9	पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (390.57 X 30)	रू0 11,717.00
		योग	रू0 5,17,79,084.00

अभिनिर्णय (Award) का औचित्य

केन्द्र सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 2235 (अ) दिनांक 02.10.2009 द्वारा अधिसूचित विशेष रेल परियोजना पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंध और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजन हेतु अन्तर्गत रेलवे किमी0 0/000 से 2/684 किमी0 के मध्य ग्राम– वैरबादशाहपुर, तह0– सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्द शहर की कुल क्षेत्रफल 12.5209 हे0 भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव महा प्रबंधक (प्रापण), डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर, कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया पाँचवा तल प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन काम्पलेक्स नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। उपर्युक्त भूमि के विवरण की अधिसूचना रेल (संशोधन) अध्यादेश 2008 की धारा 20–ए, के अन्तर्गत भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 02.09.2009 को प्रकाशित की गई। इस अधिसूचना का प्रकाशन धारा– 20ए (4) के प्राविधानानुसार सर्वसाधारण के

Scanned by CamScanner